

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।  
टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/5218-5408

दिनांक :- 1/9/17

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

**विषय :-** घर-घर कचरा संग्रहण (Door to door collection) एवं कचरे के परिवहन की व्यवस्था प्रत्येक निकाय में दिसम्बर 2017 तक किये जाने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है, कि निकायो में समस्त वार्डों में 100 प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य दिसम्बर 2017 तक किया जाना है। इस हेतु आपको पूर्व में बार-बार निर्देशित किया जाता रहा है।

वर्तमान में कुल वार्डों में से 60 प्रतिशत वार्डों में ही घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू हो पाया है। विभागीय स्तर पर एवं DGS&D R/c (GeM) पर स्वीकृत दरों पर घर-घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन हेतु आवश्यक उपकरण/वाहन आप सीधे ही स्वीकृत दरों पर क्रयदेश जारी कर क्रय कर सकते हैं।

नगर निकायो द्वारा स्वीकृत दरों पर उपकरण/वाहन क्रय किये गये हैं, जो 100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन हेतु पर्याप्त नहीं हैं। आप अपनी अपनी निकाय में आवश्यक उपकरण समुचित मात्रा में क्रय करते हुये 100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन किये जाने की व्यवस्था करावे। आवश्यक उपकरणों/वाहनों का क्रय तय समय सीमा में करते हुये उनका भुगतान भी निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है, कि दिसम्बर, 2017 तक 100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन करवाने की समुचित व्यवस्था करते हुये स्वच्छ भारत मिशन के SWM घटक में उपलब्ध राशि एवं निकाय के अंशदान की राशि का उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवावे, जिससे आपको राशि हस्तान्तरित की जा सकें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 1/9/17

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/5409-5647  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशालय।
4. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियंता